ISPRL

विषय सूची
CONTENTS

1.	बोर्ड के निदेशक	2
	Board of Directors	37
2.	निदेशक रिपोर्ट	4
	Directors' Report	39
3.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	10
	Auditors' Report	45
4.	वार्षिक लेखे 2010-11	15
	Annual Accounts 2010-11	49
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	34
	Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	69

बोर्ड के निदेशक

श्री जी सी चतुर्वेदी	अध्यक्ष	(11 मई 2011 से)
श्री एस सुन्दरेशन	अध्यक्ष	(02 मई 2011 तक)
श्री सुधीर भार्गव	निदेशक	(19 मई 2010 से)
श्री अरुण कुमार	प्रभारी-निदेशक	
श्री एल एन गुप्ता	निदेशक	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री राजन के पिल्लै

कंपनी सचिव

श्रीमती सुधा वेंकट वरदन

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी,
चार्टेड एकांउटेन्टस
फ्लेट नं. 303, डीडीए एचआईजी मल्टी स्टोरी, ब्लाक 1, रानी झाँसी काम्प्लेक्स
देश बंधु गुप्ता रोड़, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110 055

बैंकर्स

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा,
विजया बिल्डिंग, 17 बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली 110 001

कार्पोरेशन बैंक
एम-41 कनॉट सर्कस
नई दिल्ली 110 001

पंजीकृत कार्यालय

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड़, नई दिल्ली-110 001

प्रशासनिक कार्यालय

ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर - 73, नोएडा- 201301, उ.प्र.
फोन : 91-120-2594641, **फैक्स** : 91-120-2594643
वेब साईट : www.isprlindia.com
ई-मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापटनम् परियोजना कार्यालय :
लोवागार्डन, एच.एस.एल. फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापटनम्-530 005
फोन : 0891-2574059, फैक्स : 0891-2573503

मैंगलोर परियोजना कार्यालय :
स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रुड आयॅल प्रोजेक्ट,
चन्द्राहास नगर, परमुडे पी.ओ, मैंगलोर–574 509
फोन : 0824-3006100, फैक्स : 0824-3006111

पादुर परियोजना कार्यालय :
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी-574 106, कर्नाटक
फोन : 0820-2576683, फैक्स : 0820-2576629

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड

बोर्ड के निदेशकों की ओर से, मैं कंपनी की कार्यप्रणाली पर 31 मार्च 2011 को समाप्त अवधि की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखा–विवरण तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

कंपनी :– एक परिदृश्य

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आई.एस.पी.आर.एल) दिनांक 16 जून, 2004 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में निगमित हुई। कंपनियों के रजिस्ट्रार से कार्य आरंभ करने का प्रमाण–पत्र दिनांक 17.03.2006 को प्राप्त हुआ। कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई 2006 को अधिगृहित कर ली गई है। दिनांक 31.03.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी तथा निर्गमित /अभिदत्त / प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2,397 करोड़ और 961.99 करोड़ रुपये है (442.74 करोड़ रुपये प्रलंबित आबंटन समाविष्ट है)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के भंडार का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना तथा कच्चे तेल की रिलीज एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवाल, गोदाममालिक, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयारी, और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।

कार्य–निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी को 5.33 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक कच्चे तेल क्षमता वाले भंडार स्थापित करने का आदेश हुआ है। कार्यनीतिक आरक्षितियों के निर्माण हेतु चुने गए स्थान विशाखपट्टनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) तथा पादुर (2.5 एमएमटी) हैं। कार्यनीतिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूंजीगत लागत लगभग 2763 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें जून 2011 में अनुमोदित 1038 करोड़ रुपये विशाखापट्टनम परियोजना की संशोधित लागत एवं सितंबर 2005 के मूल्यों पर मैंगलोर व पादुर परियोजना लागतें भी शामिल हैं। मैंगलोर व पादुर की परियोजना लागतें संशोधनाधीन हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) संपूर्ण निर्माण लागत के लिए निधियां उपलब्ध कराएगा। इन निमार्ण लागतों में कच्चे तेल की कीमत शामिल नहीं है जो संबंधित कैवर्न के भरे जाने के लिए तैयार होने पर सरकार द्वारा तय किए गए वित्तीय पैटर्न पर प्रचलित बाजार दरों पर जुटाया जाएगा।

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अनेक कदम उठाए हैं और 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि की परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहाकार (पीएमसी) के रुप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए आवश्यक 68 एकड़ भूमि में से 38 एकड़ भूमि विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर ले ली गई है तथा शेष भूमि के लिए पूर्वी नौसेना कमांड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। वैधानिक निर्बाधताएं प्राप्त कर ली गई हैं। अनुपूरक स्थल जांच पड़ताल के बाद, अतिरिक्त क्षमता की कम सीमांत लागत का लाभ उठाने के लिए कैवर्न की क्षमता 1.33 एमएमटी तक बढ़ा दी गई है और सरकार से इसका अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है ।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शटन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक 18.74 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। भूतल से ऊपर की भूमि संबंधी कार्य दिनांक 30.11.2009 को मैसर्ज आईओटीआईईएसएल को दिया गया था। दिनांक 31.03.2011 को कच्चे तेल की क्रूड सबमर्सिबिल पंपों एवं सीपेज वाटर पंपों आदि जैसे प्रमुख संवेदनशील मदों की खरीदी के लिए आदेश दे दिया गया है। साईट पर सामग्री पहुंचना आरंभ हो गई है तथा स्थल ग्रेडिंग काम प्रगति पर है। दिनांक 31.03.2011 को परियोजना की कुल प्रगति 74.1 प्रतिशत है। परियोजना के यांत्रिक (मैकेनिकल) कार्य को पूरा करने की अनुसूचित तिथि अक्टूबर, 2011 है और कमीशन करने की तिथि अप्रैल 2012 है। पंरतु, कैवर्न ए में वेज फेलयुअर की घटना होने से कार्य पूरा करने के निर्धारित समय पर प्रभाव पड़ा है। मरम्मत/एवं पूर्व अवस्था में लाने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

2. मैंगलोर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है। मैंगलोर कैवर्न के लिए चिन्हित भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र के अंतर्गत आती है और 100 एकड़ भूमि मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (MSEZL) से अधिग्रहित कर ली गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर ली गई है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की स्वीकृति भी प्राप्ति कर ली गई है ।

भूमिगत सिविल कार्य मैसर्ज एस के इंजिनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और करम चंद थापर के संयुक्त उद्यम (एसकेईसी–केसीटीजेवी) के माध्यम से किया जा रहा है। 31 मार्च, 2011 तक कुल 22.65 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई कार्य में से कुल 3.04 लाख क्यूबिक मीटर खुदाई का कार्य पूरा हो गया है जो कुल 8.6 किलो मीटर सुरंग कार्य में से 3.9 किलो मीटर सुरंग कार्य के अनुरूप है। नियोजित 232.4 मीटर में से कुल 45 मीटर शाफ्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है। भूमि के ऊपर के कार्य के लिए, 4 निविदाकारों को तकनीकी वाणिज्यिक (टेक्नो कमर्शियल) आधार पर स्वीकार्य पाया गया और उनकी प्राइज्ड बिड 3 फरवरी, 2011 को खोली गईं। चूंकि मूल्यांकन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि एक भारतीय निविदाकार ने दो मुद्राओं में अपनी दरें दर्शाई थीं, इसलिए 31.03.2011 तक टेंडर को अंतिम रुप नहीं दिया जा सका। यांत्रिक कार्य का समापन भूमि के ऊपरी कार्य के लिए अवार्ड देने पर निर्भर करेगा। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 33.6 प्रतिशत रही है ।

MSEZ के भीतर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (**FTWZ**) के सह–विकासक के रुप में मैंगलोर परियोजना के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन 12 अगस्त, 2010 को प्राप्त हुआ।

3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी)

ईआईएल को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियक्त किया गया है। अक्टूबर 2008 में कर्नाटक सरकार पादुर/हेरुरु ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर चुकी है। पादुर में लगभग 182 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) के माध्यंम से किया जा रहा है जिसमें से 101.815 एकड़ भूमि का कब्जा मई 2010 में कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था ।

भूमिगत सिविल कार्य को दो भागों अर्थात भाग ए व भाग बी में बांटा गया है । भाग ए का कार्य मैसर्ज एचसीसी को 374.66 करोड़ रुपये में तथा भाग बी का काम मैसर्ज एसकेईसी–केसीटी जेवी को 375.92 करोड़ रुपये में दिनांक 29.12.2009 को 36 माह की अवधि में पूरा करने के लिए सौंपा गया। चूंकि, 29 मई, 2010 को केआईएडीबी द्वारा जमीन आईएसपीआरएल को सौंपी गई और इसलिए निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने की शून्य तिथि 29 मई, 2010 मान ली गई। ईआईएल द्वारा भूमि के ऊपरी कार्य के टेंडर को अंतिम रुप दिया गया और कार्यआदेश शीघ्र ही प्रदान करने की प्रक्रिया प्रगति पर हैं। 31.03.2011 तक परियोजना की कुल प्रगति 26 प्रतिशत रही है ।

मैंगलोर–पादुर पाइपलाइन के लिए प्रयोग के अधिकार (आरओयू) अर्जन हेतु, डीसी, मैंगलोर तथा डीसी, उडुप्पी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (**SLAO**), कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (**KIADB**) को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया है। आरओयू अर्जन का काम केआईडीबी के द्वारा किया जा रहा है और जनवरी 2011 में 3(1) अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्येक भूस्वामी को सूचना भेज दी गई है ।

दिनांक 31.03.2011 और निदेशक रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:–

(i) मैंगलोर भूमि के ऊपरी कार्य के लिए कुल 329.979 करोड़ रूपये की लागत पर प्रतिवर्ती नीलामी प्रक्रिया के बाद मैसर्ज पुंज लॉयड को आदेश दिया गया। (आदेश जुलाई 2011 में दिया गया)

(ii) फेस II में 4 लोकेशनों अर्थात पादुर, राजकोट, चंडीखोल और बीकानेर में 12.5 एमएमटी क्षमता के भंडारण के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 करोड़ रूपये की लागत का आदेश ईआईएल का दिया गया। (आदेश जुलाई 2011 में दिया गया)

(iii) अगस्त 2010 में मैंगलोर में निःशुल्क् व्यापार वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्यूजैड) के सह–विकास बनने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का अनुमोदन लेने के बाद एसईजैड अनुमोदन बोर्ड ने 19.09.2011 को हुई अपनी 48 वीं बैठक में मैंगलोर परियोजना के लिए प्राधिकृत प्रचालन को अनुमोदित किया और अब परियोजना एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहनों के दावे करने का हकदार है ।

(iv) जुलाई 2011 में पादुर परियोजना को एफटीडब्यूजैड के रुप में घोषित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। एसईजैड अनुमोदन बोर्ड ने 19.09.2011 को आयोजित अपनी

48 वीं बैठक में एफटीडब्ल्यूजैड के रुप में पादुर परियोजना को भी अनुमोदित किया। एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन एफटीडब्ल्यूजैड के पात्र होने के नाते पादुर परियोजना के लिए राजकोषीय लाभों का लाभ उठाने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं पर कार्य किया जा रहा है ।

(v) जुलाई 2011 में पादुर में 42 एकड़ अतिरिक्ति भूमि के अधिग्रहण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई।

(vi) पादुर में भूमि के ऊपरी कार्य को प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ती नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) दिनांक 29.11.2011 को की गई और मैसर्ज लिंडे इंजिनियरिंग इंडिया प्रा. लि. को 354.25 करोड़ रुपये की बोली मूल्य पर एल 1 बोली लगाने वाले के रुप में पाया गया ।

<u>वित्तीय परिणाम</u>

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	रूपये (लाखों में)		तुलन–पत्र के संदर्भ में
(क)	1 अप्रैल, 2010 को प्रचालन–पूर्व व्यय का आरंभिक शेष		48115.28	**अनुसूची 3** –31.3.2010 को अंतिम शेष
(ख)	वर्ष के दौरान प्रचालन–पूर्व व्यय		42294.32	**अनुसूची 3** 31.3.2011 को व्यय के अंतिम शेष तथा 1.4.2010 को व्यय के आरंभिक शेष के बीच का अंतर
(ग)	**स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि**			**अनुसूची 2 –** “वर्ष के दौरान हुई वृद्धि” कॉलम से
	स्थायी परिसंपत्ति–भूमि	2138.11		
	अन्य स्थायी परिसंपत्ति	3.59		
	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		2141.70	
(घ)	वर्ष के दौरान विविध व्यय (हटाए न जाने तक)	-	-	तुलन पत्र का संकेत संख्या ख **(3)**
(ड0)	लाभ एवं हानि लेखा		920.25	
(च)	**निवल चालू परिसंपत्तियॉ**			
	(1) चालू परिसंपत्तियॉ, ऋण तथा अग्रिम	6200.01		**अनुसूची 4**
	(2) चालू देयताएं तथा प्रावधान	9911.18		**अनुसूची 5** चालू देयताओं के लिए तथा मुख्य तुलन–पत्र के **संकेत संख्या ख (2)** के प्रावधानों के लिए
	निवल चालू परिसंपत्तियॉ (i-ii)		-3711.17	
	कुल व्यय(क+ख+ग+घ+ड0+च)		**89760.38**	

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पात्र इनपुटों पर दिए गए करों पर आईएसपीआरएल भविष्य में देय करों के प्रति सेनवेट (CENVAT) क्रेडिट प्राप्त करने का पात्र है। मैंगलोर और पादुर परियोजनाओं के इनपुट पर भी भुगतान किए गए कर एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन रिफंड के लिए पात्र होंगे। तदनुसार, 4694 लाख रुपये का सेनवेट क्रेडिट (31 मार्च 2010 तक 2499 लाख रुपये सहित) 2010–11 के दौरान संचित किया गया है जिसका उपयोग भविष्य की कर देयताओं की प्रतिपूर्ति / रिफंड के लिए एसईजैड अधिनियम 2005 के अधीन किया जाएगा।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स रस्तोगी नारायण एण्ड कम्पनी, चार्टेर्ड एकाउटेंट्स ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की रिपोर्ट दी है, जो इसके साथ संलग्न है

सी एंड ए जी ने, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 2 टिप्पणियां दी हैं। प्रबंधन के प्रत्युत्तर के साथ सी एंड ए जी की टिप्पणियों को यहां संलग्न किया गया है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व्यय पर कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 217 (1) के अंतर्गत रिपोर्ट :

चूंकि कंपनी ने अभी तक वास्तविक कार्य प्रारंभ नहीं किया है, अतः ऊर्जा शक्ति, ईंधन खपत तथा उत्पादन पर प्रति यूनिट खपत से संबंधित सूचना शून्य है। समीक्षा के अधीन रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन/ व्यय नहीं हुआ ।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) तथा उसके अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों की विवरण संबंधी सूचना शून्य है ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का उल्लेख

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को बनाते हुए लेखों के लिए निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है ।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना तथा उन्हें अनवरत लागू किया और ऐसे निर्णय लिए व अनुमान लगाए जो तर्कसंगत एवं न्यायसंगत थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य प्रणाली पर एक सत्य व स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत हो ।

3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।

4. निदेशकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखे 'गोइंग कंर्सन' के आधार पर तैयार किए थे ।

निदेशक मंडल

वर्तमान में आई एस आर पी एल बोर्ड में चार–अंश कालिक गैर–कार्यकारी निदेशक (पदेन) हैं जो इस प्रकार हैं:–

1. श्री जी सी चतुर्वेदी, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
2. श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक
3. श्री अरूण कुमार, सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड – प्रभारी निदेशक
4 श्री एल.एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

1 अप्रैल 2010 से कंपनी के निदेशकों में बदलाव निम्नानुसार है।

1. श्री एस.सुंदरेशन, अध्यक्ष–(02.05.2011 तक)
2. श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष–(11.05.2011 से)
2. श्री सुधीर भार्गव, निदेशक–(19.05.2010 से)

निदेशक मंडल, श्री एस सुन्दरेशन के द्वारा अपनी पदावधि के दौरान बोर्ड में दी गईं मूल्यवान सेवाओं की निष्ठावान सराहना करता है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

दिनांक : 25.10.2011
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के शेयरधारकों को

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लाभ हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरणी का लेखा परीक्षण किया।

कंपनी प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा कार्य अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

भारत में प्रचलित मान्य लेखा मानकों के आधार पर हमने लेखा परीक्षा की। इन मानकों के द्वारा यह अपेक्षित है कि लेखा परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस तरह से करें ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि वित्तीय ब्यौरे आर्थिक त्रुटि रहित है। लेखापरीक्षा का तात्पर्य जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में प्रभारित राशि तथा इसके खुलासे के सन्दर्भ में अपेक्षित प्रमाण की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करने के साथ साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा व्यक्त विचार का उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं :

1 जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के सन्दर्भ में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी के (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 4 व 5 के उल्लिखित विषयों पर अपना वक्तव्य इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कर रहे हैं।

2 उपरोक्त अनुलग्नक में दिए गए अपने वक्तव्यों के सन्दर्भ में हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

(i) हम वे सारी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर चुके हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी ।

(ii) जैसा कि इन पुस्तिकाओं की जॉच से हमें प्रतीत हुआ, हमारे मत में कानून की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी की लेखा–पुस्तिकाएं रखी गई हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए जिन शाखाओं में हम नहीं जा पाए उन शाखओं से उचित व पर्याप्त विवरण प्राप्त कर लिया गया है।

(iii) इस रिपोर्ट में प्रदत्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे तथा नकद प्रवाह विवरणी का विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं ।

(iv) हमारे विचार से इस रिपोर्ट में प्रदत्त कंपनी के तुलन पत्र का विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लेखित मान्य लेखा नीतियों के अनुरूप है ***सिर्फ लेखा मानक – 15 द्वारा अपेक्षित सेवा निवृति हितलाभ के अप्रावधान, जिसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है, को छोड़कर क्योकिं वर्तमान में कंपनी का कार्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों (अनुसूचि 7 के संदर्भ सं 12) द्वारा संचालित की जा रही है।***

(v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना नं0–जीएसआर 829 (ड•) दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) के तहत ''प्रकटन'' की आवश्यकता नहीं है ।

(vi) हमारे विचार में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये लेखे लेखा सिद्धातों तथा टिप्पाणियों के अनुसार हैं तथा ***अग्रणी परामर्शदाता की राय के आधार पर वर्ष के दौरान 4694 लाख रुपये (मार्च 2010 तक 2499 लाख रुपये सहित) की सेनवेट क्रेडिट की पात्रता के संबंध में अनुसूची 7 की नोट संख्या 9 के अधीन है, हालांकि कंपनी जनवरी 2011 में सेवा कर प्राधिकारियों के यहां रजिस्टर्ड थी*** को छोडकर कंपनी अधिनियम 1956 की अनिवार्यताओं के अनुसार जानकारियां देते हैं तथा ये भारत में स्वीकृत सामान्यतः लेखा नीतियों के अनुसार सही स्थिति और समुचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं :

क) तुलन पत्र में 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में कंपनी के कार्यकलापों का विवरण।

ख) लाभ हानि लेखों में उस तिथि पर समाप्त वर्ष पर हुई हानि का विवरण।

ग) नकद प्रवाह विवरणी में उस तिथि पर समाप्त वर्ष में नकद प्रवाह का विवरण।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–87370

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13/9/2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के सन्दर्भ में अनुलग्नक

(31 मार्च 2011 वर्ष के लिए समाप्त इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी सम तिथि की रिपोर्ट का पैरा 1 देखें)

1 (क) कंपनी ने अपनी स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रस्थिति तथा संख्यात्मक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते अभिलेखों को सही ढंग से रखा हुआ है।

(ख) जैसा हमें बताया गया है कि वित्त वर्ष के अंत में स्थाई परिसम्पत्तियां प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जांची गई ह, हमारे विचार में कंपनी के आकार तथा स्थाई परिसम्पत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। सत्यापन के दौरान कोई विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) हमारे विचार में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान स्थाई परिसम्पत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है ।

2 (क) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है।

(ख) कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टर में अधिसूचित किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है।

तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद (iii)(b),(iii)(c),(iii)(d),(iii)(e),(iii)(f) तथा (iii)(g) लागू नहीं हैं।

3 हमारे विचार में तथा हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धांतों के अनुसार पूरे किए गए कंपनी के लेखा–जोखा के हमारे परीक्षण के आधार पर, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रमुख कमजोरियों को सुधारने में निरंतर मिल रही किसी भी असफलता का ना तो हमें संयोगवश पता लगा, ना ही हमें सूचित किया गया।

4 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार ऐसा कोई लेन–देन नहीं हुआ जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के संदर्भ में बनाए गए रजिस्टर में दर्शाने की आवश्यकता हो।

5 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58क तथा 58कक या कोई अन्य संबंधित प्रावधान तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी ने सामान्य जनता से कोई जमा (डिपोजिट) नहीं लिया है ।

6 हमारी राय में, कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली है जिसे इसके आकार एवं इसके व्यापार की प्रक्रति के अनुरुप बनाने हेतु उसे मजबूत करने की आवश्यकता है ।

7 (क) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार, हमारे विचार में, कंपनी भारत के उपयुक्त प्राधिकरणों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानूनी देय राशि, आयकर सहित कानूनी देय राशि जमा कराने में नियमित है। हालंकि स्रोत पर कर कटौती रूपये राशि 0.08 लाख निर्विवाद रूप से कानूनी देय है, जो कि पिछले 6 महीनों से बकाया है। यह वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन देय होगी।

(ख) हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार कंपनी में बिक्रीकर, आयकर, धन कर, सेवा कर तथा उपकर की कोई देय राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के तहत जमा नहीं करवाया गया।

8 हमारे विचार में 31 मार्च 2011 को कंपनी की संचित हानि निवल मूल्य (नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत से कम है। कंपनी द्वारा उस तिथि पर समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एवं तत्काल पूववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि उठाई है।

9 कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों से किसी तरह का ऋण नहीं लिया है तथा इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किये गये हैं।

10 अभिलेखों की हमारी जाँच तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों, तथा अन्य सुरक्षाओं को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर किसी तरह का ऋण तथा/या अग्रिम राशि नही दी है।

11 हमारे विचार में कम्पनी शेयरों, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नही कर रही है।

12 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों के अलावा किसी अन्य द्वारा लिए ऋणों की गारंटी नहीं दी है।

13 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

14 हमें प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र के एक संपूर्ण परीक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि में जुटाई गई रकम का प्रयोग दीर्धावधि निवेशों के लिए नहीं किया गया है।

15 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार बनाए हुए रजिस्टर में शामिल पार्टियों या कंपनियों के शेयर का, प्राथमिकता के आधार पर, कंपनी द्वारा आंबटन नही किया गया है। कंपनी, तेल उद्योग विकास बोर्ड की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली कंपनी है ।

16 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई डिबेंचर जारी नहीं किया गया।

17 वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इशू द्वारा कोई रकम नहीं जुटाई है।

18 वर्ष के दौरान, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा–परीक्षण सिद्धातों के अनुसार पूरे किए गए लेखा खातों तथा अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, हमारे सामने न ही कंपनी के विरूद्व धोखाधड़ी की कोई घटना आई न ही कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई सूचना या खबर मिली, न ही हमें प्रबंधन की ओर से इस तरह की सूचना दी गई है।

19 कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) के खंड 4(ii)(a),(ii)(b),(ii)(c),4(viii) तथा 4(xiii) या तो लागू नहीं हैं या लेनदेन शून्य है, क्योंकि ऐसी कोई विस्तृत जानकारी/टिप्पणी सामने नहीं आई है।

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन

ह0

(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0–087370

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13/9/2011

वार्षिक लेखे

2010-2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 तक का तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	राशि रूपये में 31.03.2011	राशि रूपये में 31.03.2010
क. निधि स्रोत			
शेयर धारक निधि :			
– शेयर पूँजी :	1	9,619,975,833	5,196,434,004
कुल		**9,619,975,833**	**5,196,434,004**
ख. निधि के अनुप्रयोग			
1. स्थिर परिसंपतियाँ			
– सकलखंड	2	898,556,903	684,386,408
घटाएं : संचित मूल्यहास		40,449,127	1,165,199
		858,107,776	**683,221,209**
– प्रगति में निमार्ण कार्य	3	9,040,959,867	4,811,527,820
		9,040,959,867	**4,811,527,820**
2. चालू परिसंपतियां, ऋण एवं पेशगियां	4		
– नकद एवं बैंक शेष		7,469,709	1,560,494
– ऋण एवं पेशगी		612,531,735	330,779,820
		620,001,444	**332,340,314**
घटाएं : चालू देयताएँ एवं प्रावधान			
– चालू देयताएँ	5	991,118,882	655,045,545
– करों के लिए प्रावधान		-	422,018
		991,118,882	**655,467,563**
शुद्ध चालू परिसंपति		**(371,117,439)**	**(323,127,249)**
3. लाभ तथा हानि लेखे			
– लाभ तथा हानि लेखे के अनुसार		92,025,629	24,812,223
कुल		**9,619,975,833**	**5,196,434,004**
– महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6		
– लेखाओं पर टिप्पणी	7		

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0	ह0	ह0
(सुधा वेंकट वरदन)	**(डी के अग्रवाल)**	**(राजन के. पिल्लई)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0	ह0
(एल एन गुप्ता)	**(अरूण कुमार)**
निदेशक	प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.09.2011

31.3.2011 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाता

	राशि रूपयों में चालू वर्ष	राशि रूपयों में गत वर्ष
आय	-	-
कुल	-	-
व्यय		
सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	184,750	96,275
आंतरिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	75,000	-
कार्यालय व्यय	2,012,403	510,263
मूल्य ह्रास/परिशोधन	39,549,061	255,593
आरओसी खर्चे	3,000	6,000
संपत्तियों की बिक्री पर हानि	160,682	-
प्रारंभिक खर्चे	-	23,944,092
स्टॉम्प डयूटी	25,276,234	-
योग	**67,261,130**	**24,812,223**
वर्ष में हुई हानि	(67,261,130)	(24,812,223)
घटाएं : पूर्व अवधि करों के लिए समायोजन	47,724	0
पूर्व अवधि के करों के बाद की हानि	(67,213,406)	(24,812,223)
जमा : पूर्व वर्ष से लिया गया शेष	(24,812,223)	0
तुलन पत्र में स्थानान्तरित अवधि की निवल हानि	**(92,025,629)**	**(24,812,223)**
बुनियादी अर्जन (बेसिक अर्निंग) प्रति शेयर	(0.13)	(0.07)
मंद अर्जन (डाइलयूटिड अर्निंग) प्रति शेयर	(0.07)	(0.05)
महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण	6	
लेखों पर टिप्पणी	7	

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(डी के अग्रवाल)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(एल एन गुप्ता)
निदेशक

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2011

दिनांक 31 मार्च 2011 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां		
विवरण	राशि रूपयों में 31.03.2011 को	राशि रूपयों में 31.03.2010 को
अनुसूची–1		
शेयर पूँजी		
- प्राधिकृत पूँजी (2,397,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू.10 / –रूपये) (पूर्व वर्ष 1,000,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू.10 / –रूपये)	23,970,000,000	10,000,000,000
- निगर्मित, अभिदत्त एवं प्रदत्त (519,254,076 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10 / –) (पूर्व वर्ष 341,243,476 इक्विटी शेयर प्रत्येक रू. 10 / –)	5,192,540,760	3,412,434,760
- **शेयर अनुप्रयोग राशि** (लम्बित आबंटन)	4,427,435,073	1,783,999,244
कुल	**9,619,975,833**	**5,196,434,004**

तेल उद्योग विकास बोर्ड और इसके नामित 100 प्रतिशत निगर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी धारण करते हैं ।

अनुसूची-2

क्रं.सं.	विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खंड (WDV)	
		01.04.10 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.11 को	01.04.10 को	वर्ष के दौरान	समायोजन	31.03.11 को	31.03.11 को	31.03.10 को
1	पट्टे पर भूमि (मैंगलोर)	413,105,000	-	-	413,105,000	-	17,518,883	-	17,518,883	395,586,117	413,105,000
2	पट्टे पर भूमि (विशाखापट्टनम)	269,005,498	-	-	269,005,498	-	9,963,167	-	9,963,167	259,042,331	269,005,498
3	पट्टे पर भूमि (पादुर)	-	213,811,500	-	213,811,500	-	11,775,133	-	11,775,133	202,036,367	-
4	कंप्यूटर	1,216,409	675,268	103,745	1,787,932	771,321	195,899	86,887	880,334	907,599	445,088
5	कार्यालयी उपकरण	581,458	153,050	22,200	712,308	171,166	72,212	3,879	239,499	472,809	410,292
6	फर्नीचर व फिक्सचर	414,988	-	343,378	71,610	204,258	17,563	174,367	47,454	24,156	210,730
7	पुस्तकें	24,359	-	-	24,359	6,388	2,500	-	8,888	15,471	17,971
8	डिप मीटर	38,696	-	-	38,696	12,066	3,704	-	15,770	22,926	26,630
	कुल	**684,386,408**	**214,639,818**	**469,323**	**898,556,903**	**1,165,199**	**39,549,061**	**265,133**	**40,449,127**	**858,107,776**	**683,221,209**
	पिछला वर्ष	**684,386,408**	**261,900**	**-**	**684,386,408**	**909,606**	**1,165,199**	**-**	**1,165,199**	**683,221,209**	**684,386,408**

अनुसूची–3	राशि रूपयों में 31.03.2011 को	राशि रूपयों में 31.03.2010 को
निमार्ण कार्य प्रगति में (अनअलोकेटिड पूंजीगत व्यय, स्थल पर सामग्री सहित)		
विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	3,854,128,383	3,035,840,119
भूमि के ऊपर प्रक्रिया सुविधाएं	746,622,030	–
परियोजना प्रबंधन परामर्श	762,903,802	600,097,601
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	17,367,914	17,367,914
अन्य परियोजना व्यय	12,212,934	6,630,077
प्रधान कार्यालय व्यय	78,610,536	58,377,530
पादुर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	1,270,084,862	–
परियोजना प्रबंधन परामर्श	615,591,253	469,646,370
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	13,873,430	13,336,681
अन्य परियोजना व्यय	2,994,084	1,527,156
प्रधान कार्यालय व्यय	14,854,729	7,728,144
मैंगलोर कैवर्न भंडारण परियोजना		
भूमिगत सिविल कार्य	1,103,214,586	193,142,121
परियोजना प्रबंधन परामर्श	513,281,017	380,205,390
अध्यनन एवं सर्वेक्षण	14,963,137	14,353,931
अन्य परियोजना व्यय	4,575,693	3,839,457
प्रधान कार्यालय व्यय	15,681,478	9,435,329
कुल	**9,040,959,867**	**4,811,527,820**

अनुसूची–4	राशि रूपयों में 31.03.2011 को	राशि रूपयों में 31.03.2010 को
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम		
नगद व बैंक बकाया		
– हस्तगत रोकड़ा	15,783	23,670
– अनुसूचित बैंक के पास बकाया (चालू खाते में)	7,453,926	1,536,824
	7,469,709	**1,560,494**
ऋण और अग्रिम (असुरक्षित मानी जाने वाले)		
भूमि के लिए अग्रिम (पादुर)	111,400,000	325,211,500
डीजल के लिये अग्रिम (पादुर परियोजना)	9,973,822	–
सुरक्षा जमा	10,397,644	2,047,820
सेवा कर सेनवेट क्रेडिट	469,460,689	–
अग्रिम झब्बे लाभ कर	–	408,380
अग्रिम आय कर	218,965	143,733
नगद में या वस्तु के रूप में वसूलीयोग्य अग्रिम	11,080,616	2,968,387
कुल	**612,531,735**	**330,779,820**

अनुसूची–5	राशि रूपयों में 31.03.2011 को	राशि रूपयों में 31.03.2010 को
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
वर्तमान देयताएं		
वस्तुओं और खर्चों के लिए विविध लेनदार	739,702,922	526,868,267
सुरक्षा / बयाना राशि जमा	566,417	266,761
स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रावधान	26,209,234	933,000
अन्य देयताएं	224,640,310	126,977,517
कुल	**991,118,882**	**655,045,545**

अनुसूची–6

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **(क) लेखाकरण का आधार**

वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211(3c) में निर्दिष्ट, भारत के सनदी लेखाकर संस्थान (Institute of Chartered Accountants) द्वारा निर्गमित लेखाकरण मानकों के अनुसार तथा लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के आदेशो का अनुपालन कर तैयार किया गया है ।

(ख) प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरुप तैयार किया गया है जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग को प्राकलन तथा पूर्वानुमान लगाना होता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही यह प्रस्तुत वर्षों के राजस्व व व्यय के प्रतिवेदित लेखों तथ वित्तीय विवरण की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करता है।

(ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

स्थायी परिसंपत्तियॉ

सभी स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य, लागत में से संचित मूल्य–ह्रास को हटाकर बताए जाते हैं। लागत में खरीद मूल्य तथा उदिष्ट प्रयोग हेतु परिसंपत्तियों को चालू अवस्था तक लाने तक का खर्च शामिल है ।

भूमि का स्थायी पटट् पर तथा साथ ही साथ 99 वर्षो के पट्टे पर अधिग्रहण पूर्ण स्वामित्व भूमि माना गया है । 99 वर्ष से कम की अवधि तक पटट् पर भूमि अधिग्रहण को पटट्धृति भूमि माना गया है ।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियॉ मानी जाती हैं यदि :

– यह संभावना हो कि भविष्य के आर्थिक हितलाभ, जो कि परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, कंपनी को प्राप्त होंगे।
– परिसंपत्तियों का लागत/उचित मूल्य विश्वसनीय रुप से आँका जा सके।

(घ) अवमूल्यन (मूल्य-ह्रास)

मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV में उल्लिखित दर पर ह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

भूमि की लागत पटट् की बाकी अवधि में परिशोधित की जाती है।

(ड०) राजस्व मान्यता ; निर्माण कार्य प्रगति तथा खर्चो का आंबटन एवं संविभाजन

(i) स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्वस् के लिए परियोजना कार्यान्वयनाधिन है और कम्पनी ने अभी व्यावसायिक प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है। कंपनी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अमूर्त आस्तियों पर जारी लेखा मानक 26 के आधार पर लाभ तथा हानि के लेखे तैयार किए गए हैं। लेखा मानक 10 के अनुसार स्थाई आस्तियों, परियोजना पर आरोपित खर्चे लाभ तथा हानि लेखे में दर्शाये गए हैं।

(ii) परियोजना विकास, साध्यता अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फीस, परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क, भूमि अधिग्रहण व्यय, (भूमिगत/भूमि के ऊपर) सिविल ठेकेदारों को किए गए भुगतान, विज्ञापन खर्चे, बीमा किश्त, भूमिगत कार्यो के लिए सप्लाई डीजल की कीमत आदि व्यय निमार्ण कार्य प्रगति खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

(iii) अप्रत्यक्ष / प्रासंगिक खर्चे (प्रधान कार्यालय के खर्चों सहित) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वहन किए गए प्रत्यक्ष खर्च के अनुपात में सभी तीनों परियोजनाओं अर्थात विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में संविभाजित हैं ।

(च) प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय

कंपनी प्रावधान तब करती है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरुप वर्तमान में दायित्व हो तथा ऐसा न हो की तुलना में इसकी अधिक संभावना हो कि ऐसे दायित्वों से निपटने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा ऐसे दायित्वों का मूल्य विश्वसनीय रुप से ऑका जा सके। प्रावधानों के मूल्यों में उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार छूट नहीं दी जाती तथा वर्ष अंत में दायित्व की राशि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनका पुनर्वालोकन किया जाता है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा संभव दायित्वों के लिए किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उद्गत हुईं हैं तथा जिनके होने की पुष्टि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं बल्कि भविष्य की घटनाओं के घटित होने या ना होने के द्वारा की जाएगी। आकस्मिक देयताओं का खुलासा उन वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है, जहॉ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना ना हो या जहॉ दायित्वों का विश्वसनीय रुप से मूल्यांकन ना किया जा सकता हो।

जब कंपनी में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प हो तब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होने पर कोई भी प्रकटन या प्रावधान नहीं किए जाते।

(छ) परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधक वर्ग समय समय पर बाह्य तथा आंतरिक स्त्रोतों के जरिए आकलन करता रहता है कि क्या वहाँ किसी परिसंपत्ति के क्षति ग्रस्त होने के संकेत हैं। क्षति वहीं होती है जहाँ अग्रेनित मूल्य भविष्य नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग तथा उसकी संभावित बिक्री से उत्पन्न होते है। जब रखाव मूल्य परिसंपत्ति के उच्च बिक्री मूल्य तथा वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है तब क्षतिगत हानि का,व्यय के रूप में निर्धारण होता है और यदि वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण में लगाए गए अनुमान में अंतर होता है तो क्षतिगत हानि विपरीत रूप ले लेती है। क्षतिगत हानि केवल उस सीमा तक दर्ज की जाती है जब परिसंपत्ति रखाव लागत, रखाव राशि को जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास तथा परिशोधन घटाकर पार नही करती। जो कोई भी क्षतिगत हानि न होने पर, निवल तथा परिशोधन का निर्धारण करेगी।

(ज) पट्टे

प्रचालनात्मक पट्टे (ऑपरेटिंग लीज़)

पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक जोखिम तथा प्रतिफल काफी हद तक पट्टे पर देने वाले के पास होती हैं, ऑपरेटिंग लीज मानी जाती हैं। ऑपरेटिगं लीज के खर्चे को कंप्युटिंग परिशोधन विधि के आधार पर निमार्ण कार्य में प्रगति शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है।

2. कर्मचारी हित लाभ

आज की तिथि में कम्पनी के वेतनपत्रक पर कोई कर्मचारी नही है। इसलिए "कर्मचारी हित लाभ" पर लेखाकरण मानक–15 के प्रावधान लागू नही होते ।

3. विदेशी मुद्रा व्यवहार

विदेशी मुद्रा में लेन–देन, लेन–देन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर पर रेकॉर्ड किए जातें हैं । विदेशी मुद्रा में अभिदानित और तुलनपत्र तिथियों में बकाया मुद्रा मद (Monetary Item), तुलनपत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर, में अनुवादित किए जातें हैं। विदेशी विनिमय व्यवहार पर विनिमय अंतर को, स्थायी परिसम्पत्तियो से संबंधित विनिमय अंतर के अलावा, समुचित मान्यता प्राप्त है । स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण से उद्गत व्यय के भुगतान की तिथि पर हुए विनिमय उतार–चढ़ाव से किसी प्रकार की लाभ/हानि को ऐसी परिसंपत्तियों के अग्रेनित लागत में समायोजित किया जाता है।

4. कराधान

आयकर में वर्तमान कर, आस्थगत कर और अनुषंगी हितलाभ कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं, विवकेशील विचार के अधीन अवधि अंतर के भविष्य कर परिणामों के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियॉ और देयताएं तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा मूल रूप से अधिनियमित कर दर से आँकी जाती हैं। विवेकपूर्ण मूल्यॉंकन से कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति को नहीं माना है।

5. प्रतिशेयर अर्जन

मूल अर्जन प्रति शेयर का परिकलन अवधि के दौरान इक्विटी शेयर बकाया का भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को आरोग्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि से भाग करके किया जाता है । तनूकृत अर्जन प्रति शेयर के परिकलन के उद्देश्य के लिए अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि तथा बकाया शेयरों के आरोप्य औसत संख्या सभी तनूकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभाव हेतु समायोजित किया जाएगा ।

अनुसूची–7

लेखाओं का टिप्पणी प्रपत्र भाग

1. पृष्ठभूमि

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड 16 जून 2004 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई। कंपनी के संपूर्ण शेयर, तेल उद्योग विकास बोर्ड तथा उनके नामितियों द्वारा 9 मई, 2006 को अधिगृहित कर लिए गए थे।

सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार, कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के भंडार का स्वामित्व, कच्चे तेल की सूची पर नियंत्रण करना तथा कच्चे तेल की रिलीज एवं स्टॉक के प्रतिस्थापन का समन्वय सरकार के विशेष निर्देश के अनुसार करना और भंडारण, हैंडलिंग, निर्वहन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाताओं, दलालों और एजेंटों, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनरों, ठेकेदारों, घटवाल, गोदाममालिक, उत्पादकों, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार और तरह के तरल पदार्थ के डीलरों और यौगिकों, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयारी, और उसके उत्पादों संबंधी कार्य संपादित करना है ।

2. आकस्मिक देयता और वचनबद्धता

क. पूंजीगत वचनबद्धता

विवरण	31.3.2011 को (रूपये लाखों में)	31.3.2010 को (रूपये लाखों में)
संविदा की अनुमानित राशि, पूँजीगत लेखा (निवल पेशगी) पर निष्पादन के लिए शेष	1,52,679 (लगभग)*	1,89,900 (लगभग)*

* मुख्यतः परियोजना निष्पादन गतिविधियों के साथ निम्नलिखित के लिए कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित मुख्य संविदाओं से उद्‌गत शेष प्रतिबद्धताएं समाविष्ट करता है :

- मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड परियोजना प्रबंधक परामर्श हेतु
- विशाखापटट्‌नम, मैंगलोर एवं पादुर परियोजनाओं में भूमिगत सिविल कार्य हेतु ठेकेदार
- विशाखापटट्‌नम में भू–उपरी प्रकियाओं के ठेकेदार
- डीजल आपूर्ति हेतु मै. एमआरपीएल और आईओसीएल (शेष मात्रा की आपूर्ति करने के लिए वर्तमान उत्पाद दर पर)
- विशाखापटट्‌नम भूमि, विकास आदि के लिए वार्षिक पट्‌टा किराया

ख. आकस्मिक देयता

विवरण	31.3.2011 को (रूपये लाखों में)	31.3.2010 को (रूपये लाखों में)
आकस्मिक देयता	8,137	7,000

- मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन संशोधित भूमि लागत
- मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन में दो लेन बाई पास रोड का मार्ग बदलना
- पादुर में 2.6 किलो मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सडक का निमार्ण
- हरित मैदान क्षेत्र का विकास

ग. जून, 2011 में, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने रुपये 67,183 लाख (सितंबर 2005 कीमतों पर) अनुमानित लागत के प्रति विशाखापट्टनम परियोजना के लिए रुपये 103800 लाख अनुमानित संशोधित लागत अनुमोदित की थी । लागत में संशोधन का कारण कीमतों में वृद्धि, विनिमय दर में भिन्नताएं, क्षमता में वृद्धि, स्थल की स्थितियों एवं तकनीकी सुधारों को ध्यान में रखकर किए गए परिवर्धन/विलोप, वैधानिक करों में वृद्धि, मालिकों की लागत आदि हैं लेकिन इसमें विशाखापटट्नम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की लागत शामिल नहीं है।

3. निर्माण की प्राक्कलित राशि

i. निर्माण की प्राक्कलित राशि का निर्धारण भूमिगत सिविल, भू–ऊपरी तथा पाईपलाईन संबंधी कार्यो के लिए हस्ताक्षरित संविदाओं के तहत परियोजनाओं के पूर्ण होने तक के प्रत्याशित खर्चे पर निर्भर है जिसमें भूमि, सामग्री सेवाऐं और अन्य संबंधित उपरिव्यय सम्मिलित हैं।

ii. तुलन पत्र की तारीख अर्थात 31 मार्च, 2011 को विशाखापट्टनम, मैंगलोर तथा पादुर परियोजनाओं पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं। तुलन पत्र की तारीख तक वहन किए गए प्रत्यक्ष खर्च और विनियोज्य लागत निर्माण कार्य प्रगति के अधीन दिखाई गई है । वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए खर्चे जो परियोजनाओं का आरोप्य नहीं है, उन्हें लाभ हानि खाते में डाल दिया गया है ।

4.

i. कर्नाटक सरकार के खानन एवं भू–विज्ञान विभाग ने कंपनी को पादुर एवं मैंगलोर परियोजनाओं के लिए नियमों के अनुसार विभाग को जागीदरादी शुल्क/स्वामित्व शुल्क के भुगतान करने के बाद उपयुक्त खरीदारों को उत्खनन पदार्थ बेचने की अनुमति दे दी थी। मैंगलोर एवं पादुर परियोजनाओं में उत्खनन के लिए कोई उत्खनन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। जागीरदारी शुल्क / स्वामित्व शुल्क का भुगतान खरीदारों द्वारा किया जाऐगा।

ii. कंपनी ने पादुर के उत्खनन पदार्थ के डिसपोजल संबंधी कार्य देने हेतु निविदा दस्तावेज जारी कर दिए हैं। परन्तु मैंगलोर में बोली लगाने वाले एक व्यक्ति द्वारा रिट याचिका दायर करने पर माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है इस व्यक्ति ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के मैंगलोर स्थल से चट्टान के डिसपोसल के लिए मैंगलोर विशेष आर्थिक जोन द्वारा उसे अनुमति दी गई है और उसके बाबत उसने स्थल के निकट एक क्रेशर इकाई की स्थापना की थी। कोर्ट के स्टे को खाली कराने के लिए कंपनी प्रक्रिया में है।

5. विशाखापट्टनम भूमिगत उत्खनन कार्य को अप्रेल 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन विभिन्न कारणों से इस लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः इसे पूरा करने का समय बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2011 कर दिया गया है। कैवर्न ए में 7 अप्रेल 2011 को हुए रॉक वेज फेलयोर के कारण जिसमें एक घातक दुर्घटना भी हुई विशाखापट्टनम कार्य में होने वाली प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। मरम्मत और बहाली का काम शुरु कर दिया गया है और नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवर उपलब्ध है ।

6

i. भूमि की कीमत जिस पर सभी तीनों स्थलों पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर थीं, पूंजीकृत किया गया है। परन्तु, पट्टा विलेखों को अभी कार्यान्वित किया जाना है। पट्टे की भूमि का पिछले वर्ष तक परिशोधन नहीं किया गया था। कंपनी ने फैसला लिया कि भूमि की कीमत का अमॉरटाईजेशन किया जाए और लाभ व हानि खाते में दिखाया जाये।

ii. विशाखापट्टनम में दिनांक 23.05.2011 के पत्र द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से प्राप्त् प्रतिबद्ध 38 एकड़ भूमि में से कंपनी ने लीज पर ली गई 1 एकड़ व्यर्थ भूमि वापिस की है। कंपनी द्वारा वापिस की गई भूमि वीपीटी ने स्वीकार कर ली है। तथपि, वीपीटी ने अभी तक कोई भी वापसी राशि नहीं दी है । राशि जिस वर्ष वीपीटी से वास्तव में प्राप्त होगी, उस वर्ष के लेखा पुस्तकों में इसे दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईओटीआईईएसएल ने अपने अस्थायी साईट कार्यालय की स्थापना के लिए आईएसपीआरएल के माध्यम से वीपीटी से 1.98 एकड़ भूमि प्राप्त की है जिसके लिये सुरक्षा जमा व अन्य खर्च IOTIESL ने वहन किये हैं।

iii. पादुर परियोजना के लिए कंपनी ने 140.65 एकड़ भूमि अर्जन के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के पास 3252.11 लाख रुपये जमा किए थे जिन्हें पूर्व वर्ष में अग्रिम के रुप में माना गया था। केआईएडीबी ने पहले ही 101.815 एकड़ भूमि सुपुर्द कर दी थी जिसे केआईएडीबी द्वारा दर्शाए अनुसार 21 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 2138.11 लाख रुपये की कीमत पर पूंजीकृत किया गया है जिसमें परियोजना विस्थापित परिवारों को दी गई राहत और पुनर्वास सहायता भी शामिल है। रुपये 1,114 लाख रुपये का उपलब्ध बकाया शेष भूमि के प्रति अग्रिम के रुप में समझा जाएगा जिसे केआईएडीबी के माध्यम से अर्जित किया जाना है, जिसे इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना गया है ।

7. रुपये 96,199 लाख की कंपनी की शेयर पूंजी में मई 2010 में आबंटित 51,925 लाख के इक्विटी शेयर और 31 मार्च 2011 को रुपये 44,274 लाख के लंबित आवंटन शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों के लिए शेयर प्रमाणपत्र अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने का निर्णय 31 मार्च 2011 के बाद लिया गया है ।

8. प्रबंधन की राय थी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के अधीन कंपनी को स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है, पिछले वित्तीय वर्ष तक कंपनी ने निष्पादित किए जाने वाले पट्टा विलेख पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी देने एवं शेयरों को जारी करने का प्रावधान नहीं रखा था। वर्तमान वर्ष के दौरान, शेयर प्रमाण पत्रों और पट्टा विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए कंपनी ने रुपये 262 लाख का प्रावधान किया है। वास्तवविक भुगतान संबंधित मुद्रांकन प्राधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद किया जाएगा ।

9. कंपनी, भारत में विभिन्न स्थानों पर विकसित की गई सुविधाओं में कच्चे तेल के लिए भंडारण सेवाएं प्रदान करेगी। कंपनी सेवा कर प्राधिकारी के साथ जनवरी 2011 में पंजीकृत की गई और इसलिए, यह सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है। एक अग्रणी परामर्शदाता की राय के आधार पर, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान रुपये 4694 लाख (31 मार्च 2010 तक के 2499 लाख रुपये सहित) की राशि को सेनवेट क्रेडिट अर्जित किया है और सेनवेट क्रेडिट प्राप्य (अनुसूची 4 देखें) के रुप में ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित पंरतु प्राप्य माने जाना) शीर्ष के अधीन दिखाया है ।

10. मैंगलोर में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र (एफटीडब्यूजैड) के सह–विकासक बनने हेतु अगस्त 2010 में वाणिज्य् मंत्रालय ने अनुमोदन दिया था । अधिकृत संचालन / निर्माण गतिविधियों हेतु माल सूची व उपयोग की गई सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन की प्राप्ति के बाद कंपनी द्वारा राजकोषीय लाभ उठाया जा सकता है जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अनुमोदनों की प्रतीक्षा है। कंपनी ने पादुर में एफटीडब्यूजैड बनने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

11. अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रुपये 1650 लाख प्रतिधारण राशि (रिटेन्शन मनी) परिवर्तनीय मदों के लिए किए गए कार्य की कीमत के 5 प्रतिशत के बराबर है, जिसका भुगतान ठेकों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। प्रतिधारण राशि (रिटेन्शन मनी) खातों में ''देय'' के दिखाई गई है ।

12. 31 मार्च 2011 को कंपनी का दैनिक कार्य प्रतिनियुक्ति पर लिए गए 13 कार्मिकों एचपीसीएल(6), ओएनजीसी(3), आईओसीएल(1), गेल(1) एवं ओआईडीबी(2) द्वारा संभाला गया और उनका छुट्टी वेतन, पेंशन अंशदान की अदायगी उनके दावों की प्राप्ति पर मूल कंपनियों को आनुपातिक आधार पर की जाती है ।

13. प्राप्त होने वाले वसूलीयोग्य पेशगी, नकदी या वस्तु या सममूल्य, जिनमें दूसरी कंपनी द्वारा देय राशि जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है की राशि शून्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य)

14. (क) कंपनी ने वर्ष 2010–11 में लधु–अवधि मियादी जमा राशियों पर 4.44 लाख रूपये का ब्याज अर्जित किया। यह ब्याज 2009–10 में शून्य था।

(ख) 395.49/– लाख रूपये की मूल्याह्रास राशि (जिसमें तीनों प्रोजेक्टों की जमीन का अर्मोटाईजेशन शमिल हैं) को वर्ष 2010–11 में लाभ–हानि खाते में डाला गया है। यह राशि वर्ष 2009–10 में 2.55/– लाख रूपये थी।

15. **लेखा परीक्षक पारिश्रमिक**

	31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)	**31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)**
सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क (सेवा कर सहित)	1,65,450*	82,725
योग	**1,65,450**	**82,725**

*आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को छोड़कर

16. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग II के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएं अपेक्षित हैं।

क. विदेशी मुद्रा में अर्जन

	31.03.11 को समाप्त वर्ष	31.03.10 को समाप्त वर्ष
	भारतीय रूपये के समतुल्य	भारतीय रूपये के समतुल्य
विदेशी मुद्रा में अर्जन	0	0

ख. विदेशी मुद्रा में खर्च

	31.03.11 को समाप्त वर्ष में	31.03.10 को समाप्त वर्ष में
	भारतीय रूपये के समतुल्य	भारतीय रूपये के समतुल्य
विदेश यात्रा	29,26,731	8,35,231
मैंगलौर में भूमि संबंधी ठेकेदार मैसर्स SKEC & KCT JV को अमेरिकी डॉलर में अदा की गई राशि	25,28,76,315	3,13,79,020
कुल	**25,58,03,046**	**3,22,14,251**

ग. आयात का सी आई एफ मूल्य

	31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)
आयात का सी.आई.एफ मूल्य	4026 लाख*	शून्य

* IOTIESL द्वारा कंपनी के परेषित (Consignee) रूप में आयात किये गये सामान का सीआईएफ मूल्य (सामग्री में अप्रैल एवं मई 2011 में लैन्ड किया)

17. आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझे गए हैं। इसके अतिरिक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भी स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि परिसंपत्ति समायोजना के लिए भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होने की विश्वासोत्पादक सबूत के साथ कोई निश्चितता नहीं है।

18. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (MSMED Act), 2006 नामक एक अधिनियम प्रख्यापित किया है जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी को सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यमों की पहचान करना तथा उन पर विनिर्दिष्ट समयावधि से, उनके प्रादयकों के साथ हुए प्रबंधन का लिहाज किए बगैर, देय पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। कंपनी ने इस तरह के उद्यमों/प्रदायकों को लिखकर पहल कर दी है और उसे अपने प्रदायकों से एक सूक्ष्म, लधु व मध्यम उद्यम होने की पुष्टि अभी तक नहीं मिली है। अतः इस मामले में कंपनी प्रदायकों के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए देयताएँ शून्य/नगण्य हैं।

19. संबधित पक्ष व्यवहार

क. संबंधित पक्ष और संबधों की सूची

i इकाईयों अथवा मुख्य प्रबंधन कार्मिक, जो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है;

- तेल उद्योग विकास बोर्ड, कंपनी में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर धारण करता है।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरर्पोरेशन लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं)

ii. मुख्य प्रबंधन कार्मिक (निदेशक मंडल)

- श्री जी सी चतुर्वेदी, अध्यक्ष (11 मई 2011 से)
- श्री एस सुन्दरेशन, अध्यक्ष (02 मई 2011 तक)
- श्री सुधीर भार्गव, निदेशक (19 मई 2010 से)
- श्री अरूण कुमार, प्रभारी निदेशक
- श्री एल एन गुप्ता, निदेशक

iii. निदेशक मंडल का पारिश्रमिक शून्य है (गत वर्ष–शून्य)

iv. श्री राजन के पिल्लई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक **रूपये लाखों में**

विवरण	31.03.11 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31.03.10 को समाप्त वर्ष (रूपये)
वर्ष 2010–11 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पारिश्रमिक (जिसमें एचपीसीएल नामे/डेबिट नोट्स में लिखी राशियों तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रत्यक्ष भुगतान शामिल हैं।)	32,00,000 (लगभग)	27,00,000 (लगभग)

(ख) बकाया शेष/संबधित पक्ष के साथ लेन–देन :

रूपये में

विवरण	**तेल उद्योग विकास बोर्ड**		**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरशन लि. ***	
	31.3.2011 को समाप्त वर्ष	**31.3.2010 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2011 को समाप्त वर्ष**	**31.3.2010 को समाप्त वर्ष**
1.वर्ष के दौरान लेनदेन कंपनी की ओर से किये गये व्यय	43,71,829	38,93,238	1,11,55,710	23,47,875
2. वर्ष के अंत में शेष	442,74,35,073	178,39,99,244	29,24,591	40,12,851
योग	443,18,06,902	178,78,92,482	1,40,80,301	63,60,726

*मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्यों के वेतन के लिए एचपीसीएल की अदायगी।

(ग) वर्ष 2010–11 के दौरान किसी भी समय निदेशकों अथवा अधिकारियों द्वारा कोई भी देय राशि शून्य है। (पिछले वर्ष की राशि शून्य थी।)

20. लघु उद्योग उपक्रमों को कोई भी भुगतान देय राशि नही है। डेबिट/क्रेडिट में ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के खाते, पुष्टि, सुलह और तत्संबंधी परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के अधीन हैं।

21. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292A के अनुसार कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित संघटन के साथ गठित की है (19 मई 2010 को हुई बोर्ड की बैठक के दौरान पुनर्गठित)

श्री सुधीर भार्गव, अपर सचिव, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

श्री अरूण कुमार, सचिव, तेउविबो – सदस्य

श्री एल एन गुप्ता, संयुक्त सचिव (आर), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय – सदस्य

22. ठेकेदारों की बकायी राशि पुष्टि के अधीन है।

23. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक है वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से सरल तुलना के लिए पुर्नव्यवस्थित कर दिया गया है। इस साल में किये गये खर्चे प्रत्यक्ष रूप से जो प्रोजेक्टों में अरोप्य नहीं पाये गए हैं का जो लाभ हानि खातों में डाल गया है।

अनुसूची 1 से 7 तुलनपत्र और लाभ व हानि खाते का अभिन्न अंग है।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंकट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(एल एन गुप्ता)
निदेशक

ह0
(डी के अग्रवाल)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775एन
ह0
(शांति नारायण) पार्टनर
सदस्य सं0–087370
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.09.2011

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि VI के पार्ट – IV को अनुवर्ती सूचना

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 126973 — राज्य कोड: 55

तुलनपत्र तिथि: 31032011

II. वर्ष के दौरान पूँजी मे बढ़ोतरी (हजार रूपये की राशि में)

सार्वजनिक निर्गम	अधिकार निर्गम
0	0
बोनस निर्गम	**निजी स्थानन**
0	1780106

III. जुटाव स्थिति तथा निधि का परिनियोजन (हजार रूपये की राशि में)

कुल देयताएँ	कुल परिसंपत्तिया
9619975	9619975

निधि स्त्रोत (हजार रूपये की राशि में)

प्रदत्त पूँजी	आरक्षित व अधिशेष	शेयर आवेदन धन
5192540	0	4427435
प्रतिभूति ऋण	**अप्रतिभूत ऋण**	
0	0	

निधि आवेदन पत्र (हजार रूपये की राशि में)

निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ	निवेश
858107	0
निवल चालू परिसंपत्तियाँ	**प्रचालन–पूर्व व्यय (लंबित आवंटन)**
(371117)	9040959
विविध खर्च	
0	

IV. कंपनी के कार्य निष्पादन (हजार रूपये की राशि में)

कुल बिक्री	कुल व्यय
0	(67261)
लाभ / हानि (कर से पहले)	**लाभ / हानि (कर से पश्चात्)**
(67261)	(67213)
प्रति इक्विटि शेयर अर्जन	**लाभांश**
(0.13)	0

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (आर्थिक शर्तों के अनुसार)

मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं
मद कोड संख्या (ITC कोड)	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	लागू नहीं

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

ह0
(सुधा वेंक्ट वरदन)
कंपनी सचिव

ह0
(डी के अग्रवाल)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0
(राजन के. पिल्लई)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह0
(एल एन गुप्ता)
निदेशक

ह0
(अरूण कुमार)
प्रभारी निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रस्तोगी नारायण एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं – 008775 एन
ह0
(शांति नारायण)
पार्टनर
सदस्य सं0 – 087370
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.9.2011

नकदी प्रवाह विवरण– वित्तीय वर्ष 2010–11 (अप्रत्यक्ष पद्धति)

		राशि रूपयों में	राशि रूपयों में
	नकद और बैंक का आरंभिक शेष- (1)		**1,560,494**
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	निवल हानि	(67,213,406)	
	समायोजन		
	मूल्य ह्रास	39,283,929	
	ब्याज आय	448,187	
	निर्माण कार्य प्रगति खर्च में वृद्धि	(4,196,274,493)	
	चालू देयताओं में वृद्धि	**335,651,320**	
	वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रचालन व्ययों की अदायगी	(33,605,740)	
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(3,921,710,204)**
ख	निवेश गतिविधियां		
	स्थायी परिसंपत्तियों, निवेशों की खरीद	(214,170,495)	
	तृतीय पक्ष को दिए गए अग्रिम राशि/ऋण	(281,751,915)	
	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		**(495,922,410)**
ग	वित्तीय गतिविधियां		
	नकद हेतु शेयर पूंजी, डिबेंचर निर्गमन	**4,423,541,829**	
	वित्तियों गतिविधियों से नकद प्रवाह		**4,423,541,829**
	कुल नकद प्रवाह (2)		**5,909,215**
	नकद एवं बैंक का अंतिम शेष		**7,469,709**

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31, मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस् लिमिटेड के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय ढ़ांचे के अनुसार इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक परीक्षक की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपने प्रोफेशनल बॉडी भारतीय चार्टड अकाउन्टेट संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एंवम् आश्वासन मानकों के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा करके अपना विचार व्यक्त करना है। उनके द्वारा दी गई 13 सितंबर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूरा किया जा चुका है ।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की ओर से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड के वित्तीय बयान के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए एक अनुपूरक लेखा परीक्षण किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रुप से सांविधिक लेखा परीक्षण के आधार पत्र के बगैर किया गया है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षण तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ व लेखाकरण के कुछ अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये अनुपुरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं, मेरे संज्ञान में आये निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को, जो इन वित्तीय विवरिणियों और उससे संबधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बेहतर समझने के लिए आवश्यक है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उजागर करना चाहती हूँः–

तुलन पत्र :

स्थायी परिसंपत्तियां (सकल खण्ड)	**89.86 करोड़ रुपये**
चालू देयताएं	**99.11 करोड़ रुपये**

(i) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की अतिरिक्त लागत के प्रति 18.29 करोड़ रुपये की एक स्थिर देयता खातों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार, चालू देयताएं एवं अचल संपत्तियां (सकल खण्ड) दोनों 18.29 करोड़ रुपये कम दर्शायी गई हैं। इसके कारण पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन 0.40 करोड़ रूपये कम हुआ है।

(ii) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की प्रारंभिक कीमत के प्रति 0.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिशोधन हुआ है ।

उपर्युक्त के परिणाम स्वरुप, वर्ष की हानि 0.48 करोड़ रुपये (0.88 करोड़ रुपये0.40 करोड़ रुपये) से अतिरंजित हुई है ।

सी.एण्ड.ए.जी. के लिए और सी.एण्ड.ए.जी की ओर से

ह0

(नैना ए. कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.10.2011

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के खातों पर सीएंडएजी की टिप्पणियां एवं उनके ऊपर प्रबंधन के उत्तर।

सीएंडएजी की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
तुलन पत्र **स्थायी परिसम्पत्तियां (सकल खण्ड) :** **89.86 करोड़ रूपये** (i) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की अतिरिक्त लागत के प्रति 18.29 करोड़ रुपये की एक स्थिर देयता खातों में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार, चालू देयताएं एवं अचल संपत्तियां (सकल खण्ड) दोनों 18.29 करोड़ रुपये कम दर्शायी गई हैं। इसके कारण पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन 0.40 करोड़ रूपये कम हुआ है।	16.08.2011 को सचिव, पेट्रोलियम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरुप, हरित पट्टी क्षेत्र को छोड़कर बाकी भूमि के हिस्से के लिए आईएसपीआरएल को भुगतान करना है। आईएसपीआरएल की वास्तविक देयता लगभग 60 करोड़ रुपये है जिसमें से 41.31 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और खातों में पूंजीकृत हो गया है । क्योंकि वास्तविक देय राशि की पुष्टि हाल ही में हुई है, आईएसपीआरएल शेष भूमि की कीमत की राशि के लिये वास्तविक आधार पर वर्ष 2011–12 में प्रावधान करेगा।
(ii) मैंगलोर पट्टे पर ली गई भूमि की प्रारंभिक कीमत के प्रति 0.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिशोधन हुआ है । उपर्युक्त के परिणाम स्वरुप, वर्ष की हानि 0.48 करोड़ रुपये (0.88 करोड़ रुपये0.40 करोड़ रुपये) से अतिरंजित हुई है ।	कब्जा लेने और स्थल पर सुविधाओं के निर्माण प्रारंभ करने हेतु अंतिम आधार पर भूमि की कीमत के प्रति मैंगलोर एसईजैड लिमिटेड (एमएसईजैडएल) को शुरु में अनुमानित आधार पर किए गए 41.31 करोड़ रुपये के भुगतान को पूंजीकृत कर दिया गया है। भूमि की कीमत के प्रति शेष देय राशि तुलन पत्र को अंतिम रुप देने की तिथि तक प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं के रुप में दर्शायी गई है। परिशोधन के लिए आकस्मिक देयता को भी शामिल करने की गलती हुई है और जैसाकि इंगित किया गया है, अतिरिक्त परिशोधन वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान समायोजित किया जाएगा ।